न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत उच्चतर न्यायिक सेवा
J.O. Code – UP1893

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–439/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–1178/2026
(CNR No: UPGZ010027522026)

नूर मौहम्मद आयु 70 वर्ष पुत्र श्री बाबू निवासी ग्राम रूद्रामान थाना कम्पिल जिला–फरूखाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

..... विपक्षी/अभियोजन

मुकदमा अपराध संख्या–484/2025
(सत्र परीक्षण केस 06/2026)
धारा–85, 80(2) बी०एन०एस० एवं
धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–खोड़ा, जिला गाजियाबाद।

... ...

05.03.2026

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त नूर मौहम्मद की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक /अभियुक्त के पैरोकार समसुददीन द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा उसका अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा शमशाद अहमद ने दिनांक 12.01.2025 को थाना खोड़ा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है कि वादी ने अपनी पुत्री नूरानी का निकाह मुस्लिम रीति रिवाज से मार्च 2020 को वसीम पुत्र नूर मोहम्मद के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंगनी में नकद 11 लाख व लगभग 100 ग्राम सोने के जेवरात 400 ग्राम चांदी के जेवरात व गिफ्ट आइटम आदि देकर धूमधाम से किया था। निकाह के बाद कुछ दिन सही रहने के पश्चात वसीम, ससुर नूर मोहम्मद, सास सकीना बेगम, जेठ समसुददीन व निजामुददीन व नवाबुददीन पुत्र गढ नूर मोहम्मद, आदिल पुत्र शमशुदीन व जेठानी नजमा पत्नी शमशुददीन आदि अधिक दहेज की मांग को लेकर बार बार प्रताडित करते रहे। वादी ने अपनी पुत्री के लिये कई बार उपहार भेंट किये, किन्तु समय के साथ साथ इनका लालच बढ़ता गया और वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित करते रहे। पूरा परिवार ससुर, सास, जेठ , जेठानी, जेठ के पुत्र की सोची समझी साजिश के तहत षडयंत्र रचकर दिनांक 12.11.2025 को उसकी पुत्री नूरानी को उक्त लोगों के द्वारा मारपीट कर हत्या कर दी गयी, जिसकी सूचना उसके सगे भाई

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.03.06 10:20:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिलशाद अहमद द्वारा प्रातः लगभग 3.30 बजे दी गयी। तब वादी ने 112 नम्बर पर कॉल करके पुलिस को सूचित किया। उसकी पुत्री का शव एम.एम.जी. अस्पताल गाजियाबाद में ले गये। जब वादी अस्पताल पहुंचा तब उसकी पुत्री का शव उसे शव गृह में मिला।

4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से किसी प्रकार की वस्तु बरामद नहीं हुई है। आवेदक /अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतंत्रजन साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के पुत्र वसीम का निकाह वादी की पुत्री नूरानी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सन 2020 में बिना किसी दान दहेज के सम्पन्न हुआ था। निकाह होने के कुछ दिनों बाद ही वादी की पुत्री व वसीम खोडा गाजियाबाद में आकर अपना ग्रहस्थी जीवन यापन करने लगे। आवेदक/अभियुक्त कभी भी खोडा अपने पुत्र व पुत्रवधू के पास उनके मकान पर नहीं आया। आवेदक/अभियुक्त बीमार रहता है जो कि अपने मूल निवास स्थान फरूखाबाद में ही अपनी पत्नी व अन्य बच्चों के साथ रहता है। आवेदक/अभियुक्त की पुत्रवधू नुरानी की दिनांक 12.11.2025 को आकस्मिक मृत्यु हो गयी। आवेदक/अभियुक्त या उसके परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा कोई किसी प्रकार की दहेज की मांग नहीं की गयी और न ही दहेज के लिए प्रताडित कर मारपीट की गयी। वादी के द्वारा लालच के वशीभूत होकर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। आवेदक /अभियुक्त एक सीनियर सिटीजन बीमार 70 वर्षीय व्यक्ति है।आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।आवेदक /अभियुक्त दिनांक 14.11.2025 से कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधार पर जमानत की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी के निजी विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य परिजनों के साथ मिलकर दहेज की मांग को लेकर वादी की पुत्री नूरानी की दिनांक 12.11.2025 को दहेज हत्या कारित की गयी है। यह भी कहा गया है कि मृतका की मृत्यु उसकी ससुराल में शादी के 07 वर्ष के अन्दर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा फांसी लगाकर की गयी है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर कई एन्टीमार्टम इंजरी पायी गयी हैं और मृतका की मृत्यु उसकी ससुराल में हुई है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक /अभियुक्त मृतका का ससुर है। यह भी कहा गया है कि मृतका की सास सकीना बेगम की जमानत दिनांक 09.02.2026 को इस न्यायालय से निरस्त हो चुकी है। उपरोक्त आधार पर जमानत का कोई आधार नहीं है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं वादी के निजी विद्वान अधिवक्ता के तर्क विस्तृत रूप से सुने गये तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा की पुत्री नुरानी की शादी मार्च 2020 को आवेदक/अभियुक्त के पुत्र वसीम के साथ सम्पन्न हुई थी। आवेदक/ अभियुक्त ने अन्य परिजनों के साथ मिलकर वादिनी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित किया एवं मारपीट की तथा दहेज के लिए दिनांक 12.11.2025 को उसकी पुत्री की हत्या कर दी गयी। वादी ने अपने बयान में भी उसकी बेटी को उसके

ससुरालीजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने का कथन किया है। पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक के कुल 5 चोटें आना दर्शित है– 1. TOTAL NECK CIRCUMFERENCE 40CM, LIGATURE MARK IN AREA 32X02CM PRESENT AROUND THE NECK. 2. TRAUMATIC SWELLING OF SIZE 04X05CM ON LEFT SIDE OF OCCIPITAL PART OF SCALP.3 TRAUMATIC SWELLING OF SIZE 06X04CM ON LEFT UPPER EYELID. 4. ABRASION OF SIZE 02X0.25CM OVER LEFT EYE BELOW LEFT EYEBROW AT MEDIAL END. 5. CONTUSION OF SIZE 01X0.5CM ON LEFT SIDE OF CHIN. पोस्टमार्टम में मृतका की मृत्यु का कारण Asphyxia due to antemortem hanging होना अंकित है। इस प्रकार मृतका की मृत्यु शादी के 07 साल के अन्दर उसकी ससुराल में सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा फांसी लगाने से हुई है। आवेदक/अभियुक्त मृतका का ससुर है तथा सह अभियुक्ता सकीना बेगम की जमानत इस न्यायालय से निरस्त हो चुकी है।

8. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार आवेदक /अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त नूर मौहम्मद की ओर से उपरोक्त अपराध में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दि० 05.03.2026